बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ०प्र०–1–111/2022 57 /पटना, दिनांक :– 24-5-23

श्री राजु कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर से कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत निर्मित L0-2 सीमरी से तिलकराय होते हुए भाया बड़का राजपुर पथ की अधीक्षण अभियंता–सह राज्य गुणवत्ता समन्वयक, बिहार, पटना के स्तर से की गयी। विभागीय पत्रांक 90 अनु0 दिनांक–10.01.2023 द्वारा जाँच में पायी गयी अनियमितता/त्रुटियाँ के लिए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 13.01.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री कुमार के विरूद्ध उक्त आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन श्री खलिकुज्जमा, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता--1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री राजु कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल से कार्य प्रमंडल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

4. आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2 / अ०प्र०–1–111 / 2022 / पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र / साक्ष्य की प्रति के साथ श्री खलिकुज्जमा, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालिस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

24/5/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2 / अ०प्र०–1–111 / 2022 / पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र / साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / श्री राजु कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

24/5/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2 / अ०प्र०–1–111 / 2022 1269 / पटना, दिनांक :– 24.5.23

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/23

अभियंता प्रमुख